

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1-सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण,कासगंज, गोरखपुर,
अम्बेडकरनगर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर।

2- उप निदेशक मत्स्य,
अलीगढ़,गोरखपुर, अयोध्या,बस्ती,वाराणसी।

पत्रांक:- /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019-20 दिनांक- 18 सितम्बर, 2019

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर
सिस्टम में पंगेशियस पालन(RAS) हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 1658/नि0शा0/रा0कृ0
वि0यो0 दिनांक 03.09.2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-3 के राष्ट्रीय कृषि
विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या 922/12-3-2019-100(41)/2008
दिनांक 26 अगस्त, 2019, द्वारा रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में पंगेशियस पालन हेतु चालू
वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में
पंगेशियस पालन हेतु अवमुक्त रू0 156.00 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख संलग्न विवरण के
अनुसार व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का अग्रिम आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अग्रिम
आहरण करने पर स्वयं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
 2. अवमुक्त की जा रही धनराशि डायरेक्ट बेनिफीशरी ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से व्यय
की जायेगी।
 3. परियोजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर
निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
 4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 922/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक
26 अगस्त, 2019 के प्रस्तर-3 से 9 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11,लेखाशीर्षक
2401-फसल कृषि कर्म -800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208-मत्स्य
पालन की योजनायें "27" सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
 6. उक्त बजट नियोजन शाखा के बजट आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 100 पर अंकित है।
- संलग्नक- यथोपरि।

भवदीया

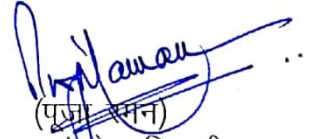
(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- 1806 /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019-20 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि भवन लखनऊ।
3. अनुसचिव कृषि अनुभाग-3 को शासनादेश संख्या 922/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 26 अगस्त, 2019 के सन्दर्भ में।
4. अनुसचिव मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
- ✓ 8. श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल में रखने हेतु।



(अंशुमान सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-17/09/2019

प्रेषण संख्या:- 1

आवंटन आदेश संख्या:- 001-Pangasius Farming in Low Cost RAS 16-9-2019

अनुदान संख्या:- 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय

02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)

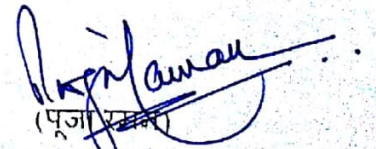
08 - मत्स्य पालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		27-सब्सिडी	योग
1	रदा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4000000	2000000 4000000
2	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	2000000 3100000	2000000 3100000
3	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2000000 4342000	2000000 4342000
4	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 3500000	2000000 3500000
5	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 5670000	2000000 5670000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 20612000	10000000 20612000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया एक करोड़

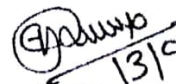
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया दो करोड़ छः लाख बारह हजार


(पूजा प्रसाद)

वित्त एवं लेखाधिकारी

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम(RAS) में पंगेशियस पालन

क्र० सं०	जनपद	आवंटित लक्ष्य (संख्या में)	आवंटित की जाने वाली धनराशि(रु०लाख में)
1	2	3	4
1	कासगंज	01	20.00
2	गोरखपुर	01	20.00
3	अम्बेडकरनगर,	01	20.00
4	सिद्धार्थनगर	01	20.00
5	गाजीपुर	01	20.00
	योग	05	100.00


 (एस०के०सिंह)
 निदेशक मत्स्य,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।